

FORM NO.111

फर्द अहकाम
(नियम 26)

20-12-24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का सिमारला जागीर

क्रिसम मुकदमा-पा0 पत्र प्रचलित रास्ता अधा 131, 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर-138/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख से जारी हुये
20.12.2024	<p>तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2853/भूअ./2024 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम सिमारला जागीर पटवार हल्का सिमारला जागीर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1618 रकबा 3.43 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर, 1615 रकबा 0.37 है0 में से 0.0200 है0, 1616 रकबा 0.89 है0 में से 0.0650 है0, 1443/1700 रकबा 0.75 है0 में से 0.0450 है0, 1443 रकबा 2.95 है0 में से 0.0160 है0, 1451 रकबा 5.66 है0 में से 0.13 है0, 1467 रकबा 4.02 है0 में से 0.07 है0, 1446 रकबा 0.21 है0 में से 0.04 है0, 1447 रकबा 0.04 है0 में से 0.0150 है0, 1435 रकबा 0.92 है0 में से 0.0220 है0, 1436 रकबा 0.04 है0 में से 0.0100 हैक्टर में से जा रहे सिमारला आम रास्ते से बन्ना पंच की ढाणी तक जाने वाले प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, प्रचलित रास्ते की फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर सहमति बतौर संबंधित खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होने, प्रस्तावित रास्ते के मौके पर कच्चा होने तथा रास्ते के सार्वजनिक आवागमन में रास्ता चालू होकर उपयोग में आने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी</p>	

4612/रिज
31-12-24



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी:- अनिल कुमार (आर.ए.एस.)


प्रार्थना पत्र संख्या:- 132 / 2024

निर्णय दिनांक: 20.12.2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा
131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम- 1956
आदेश

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2853/भू.अ./2024
दिनांक 25.10.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय
दस्तावेज नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, प्रचलित रास्ते की फर्द मौका रिपोर्ट
जिस पर सहमति बतौर संबंधित कुछ खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित है तथा अभिशंषा रिपोर्ट
के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6)
जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक
10.08.2016 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न दस्तावेजात का
ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम सिमारला
जागीर पटवार हल्का सिमारला जागीर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1618 रकबा 3.43 हैक्टर में
से 0.08 हैक्टर, 1615 रकबा 0.37 है0 में से 0.0200 है0, 1616 रकबा 0.89 है0 में से 0.0650
है0, 1443/1700 रकबा 0.75 है0 में से 0.0450 है0, 1443 रकबा 2.95 है0 में से 0.0160 है0,
1451 रकबा 5.66 है0 में से 0.13 है0, 1467 रकबा 4.02 है0 में से 0.07 है0, 1446 रकबा 0.21
है0 में से 0.04 है0, 1447 रकबा 0.04 है0 में से 0.0150 है0, 1435 रकबा 0.92 है0 में से
0.0220 है0, 1436 रकबा 0.04 है0 में से 0.0100 हैक्टर में से जा रहे सिमारला जागीर के आम
रास्ते से बन्ना पंच की ढाणी तक जाने वाले प्रचलित रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू
होने, प्रस्तावित रास्ते के मौके पर कच्चा होकर तथा रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के
उपयोग में आना बताया गया है। साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व
रिकार्ड में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा रिपोर्ट भी पेश की है।




उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस प्रकार यह विधि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव में अंकित खसरा नम्बरान में से रास्ते के काम आ रहे निम्नानुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.सं.	नाम मण्डल	पटवार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	रकबा में काम है।
1	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	1618	3.43	0.0800
2	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	1615	0.37	0.0200
3	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	1616	0.89	0.0650
4	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	1443/1700	0.75	0.0450
5	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	1443	2.95	0.0160
6	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	1451	5.66	0.1300
7	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	1467	4.02	0.0700
8	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	1446	0.21	0.0400
9	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	1447	0.04	0.0150
10	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	1435	0.92	0.0220
11	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	सिमारला जागीर	1436	0.04	0.0100

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्त मौके पर चालू रास्ते का अंकन

राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमियों में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही दर्ज राजस्व रिकार्ड रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग



तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)